हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2015

भाग–एक

1 प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2, दिनांक 13.9.2004 के अनुसार आवास एवं षहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डी मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने मण्डल के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कियाः–

क्र0 सं0	अधिषासी अभियन्ता का नाम	अवधि
1	ई0 डी0 के0 टण्डन	1.4.2014 से 30.6.2014
2	ई0 एस0 एन0 महन्त	14.7.2014 से 31.1.2015
3	ई0 जी0 आर0 ठाकुर	2.2.2015 से 31.3.2015

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरणः–

क्र0 सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	विविध अग्रिमों की राशि समायोजन हेतु शेष पाया जाना	4	1.19
2	विभिन्न निक्षेप कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना	5	956.41
3	रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूली योग्य राशि का शेष पाया जाना	6	37.88
4	जल प्रभार के रूप में वसूली योग्य शेष राशि	7	1.34
5	प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिलासपुर के कार्यालय भवन निर्माण में संविदाकार को अधिक भुगतान	8	0.68
6	हमीरपुर में निर्माणाधीन फलैटस में संविदाकार को अधिक भुगतान	10	0.19
7	Construction of Trout Fish from at Janjheli, Mandi- संविदाकार को दिए सुरक्षित अग्रिम (Secured Advance) को समायोजित न करना	14	6.02

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

हिमुडा मण्डल मण्डी के गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"क"** में दर्शाई गई है। अवधि 4/1994 से 3/2014 तक मण्डल से सम्बन्धित कुल 97 पैरे शेष थे, जिनका वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है। मण्डल द्वारा गत कई वर्षों से लंबित चले आ रहे अंकेक्षण पैरों पर कार्यवाही न करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी की पैरों के संपूर्ण निपटारे हेतु उदासीनता को परिलक्षित करता है, जिस बारे में उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	शेष लंबित पैरों की सं0	टिप्पणी
1	1994–1995	1	
2	1999–2000	1	
3	2000–2001	3	
4	2001–2002	1	
5	2003–2004	1	
6	2004–2005	1	
7	2005–2006	4	
8	2006–2007	4	
9	2007–2008	8	
10	2008–2009	8	
11	2009–2010	7	
12	2010–2011	9	
13	2011–2012	15	
14	2012–2013	12	
15	2013–2014	20	
16	1997–1998	1	(नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित)
17	1999–15.1.2001	1	(नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित)
	योग	**97**	

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 17.12.2015 से 18.2.2016 तक, श्री पदम सिंह कंवर, उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पर्यवेक्षण में मण्डी में किया गया। अंकेक्षण की विस्तृत जांच हेतु माह 10/2014 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मण्डल के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को

प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध ही न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी मण्डल के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु देय अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने के लिए आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय से अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 विविध अग्रिम की ₹1.19 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

(क) दिनांक 31.3.2015 तक स्टॉफ अग्रिम की ₹0.64 लाख समायोजन हेतु शेष पाया जाना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि हिमुडा मण्डल– मण्डी के खातों में दिनांक 31.3.2015 को ₹63805 समायोजन हेतु शेष थी, जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन **परिषिष्ट–''ख''** में दिया गया है। नियमानुसार स्टॉफ अग्रिम राशियों का समायोजन वित्त वर्ष के अन्त तक होना अपेक्षित होता है, लेकिन उक्त अग्रिम राशियों का समायोजन दिनांक 31.3.2015 तक न करने बारे स्पष्टीकरण देते हुए इनके शीघ्र समायोजन हेतु उचित पग उठाए जाएं व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) अन्य अग्रिम राशियां

मण्डल के लेखों अनुसार दिनांक 31.3.15 को निम्न अन्य अग्रिम राशियां समायोजन हेतु शेष थी।

क्र0सं0	अग्रिम विवरण	राशि	परिशिष्ट
1	आवास निर्माण अग्रिम	33653	**परिशिष्ट–''ग़''**
2	गर्म वस्त्र अग्रिम	21600	**परिशिष्ट –''घ''**
	योग	**₹55253**	

5 विभिन्न विभागों के निक्षेप कार्यों पर दिनांक 31.3.2015 तक प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण ₹956.41 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी द्वारा विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्यों पर दिनांक 31.3.2015 तक कुल प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय करने के कारण विभागों से ₹956.41 लाख वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण **परिषिष्ट–''ड़''** में दिया गया है। डिपोजिट कार्यों पर कुल जमा/प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना एक गम्भीर अनियमितता है, क्योंकि हिमुडा द्वारा स्वयं उच्च दरों पर ऋण प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य किया जाता है। अतः यह अनियमितता हिमुडा मण्डल प्रषासन के के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके तथा हिमुडा द्वारा डिपोजिट कार्यों पर प्राप्त

राशि से अधिक व्यय न किया जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित अधिक व्यय की गई राशि की वसूली सम्बन्धित विभागों से शीघ्र करनी सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 दिनांक 31.3.2015 तक विभिन्न आवास बस्तियों के रख–रखाव प्रभार के रूप में ₹37.88 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, मण्डल मण्डी के अन्तर्गत विभिन्न उपमण्डलों की आवास बस्तियों के रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 तक रख–रखाव प्रभार के रूप में ₹3787898 की वसूली लम्बित थी, जिसका उपमण्डल वार विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0 सं0	आवास बस्ती का नाम	उपमण्डल का नाम	दिनांक 31.3.2015 को वसूली योग्य राशि
1	आवास बस्ती, धोन्दी	मण्डी	227278
2	आवास बस्ती, सन्यारड	मण्डी	67277
3	आवास बस्ती, भ्यूली	मण्डी	446080
4	आवास बस्ती, दड़ूही	हमीरपुर	59130
5	आवास बस्ती, फेस–1	बिलासपुर	623944
6	आवास बस्ती, फेस–2	बिलासपुर	16210
7	आवास बस्ती, शाही नाला	कुल्लू	259660
8	आवास बस्ती, देवता ग्राउण्ड	कुल्लू	269564
9	आवास बस्ती, ब्यासा मोड	कुल्लू	1818755
		योग	**₹3787898**

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्वतः ही स्पष्ट है कि मण्डल द्वारा विभिन्न आवासीय परिसरों के रख–रखाव प्रभार की वसूली प्रभावशाली ढंग से नहीं की गई थी और न ही इतनी अधिक राशि की वसूली हेतु मण्डल स्तर पर उचित एवं प्रभावी पंग उठाए गए थे। परिणामस्वरूप वर्ष 2014–15 में यह ₹3373718 से बढ़कर ₹3787898 हो गई है। अतः यह मामला हिमुडा प्रबन्धन के विशेष ध्यान में आगामी कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

7 विभिन्न आवासीय बस्तियों से जल प्रभार की ₹1.34 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमुडा मण्डल मण्डी के अधीन विभिन्न आवासीय बस्तियों के जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 तक विभिन्न आवासीय बस्तियों से जल प्रभार की ₹133703 वसूली हेतु लंबित थी, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0 सं0	आवास बस्ती का नाम	उपमण्डल का नाम	दिनांक 31.3.2015 को वसूली योग्य राशि
1	आवास बस्ती, धोन्दी	मण्डी	12081
2	आवास बस्ती, सन्यारड	मण्डी	19538
3	आवास बस्ती, दड़ूही	हमीरपुर	211
4	आवास बस्ती, नया नगर	हमीरपुर	2419
5	आवास बस्ती, शाही नाला	कुल्लू	43024
6	आवास बस्ती, देवता ग्राउण्ड	कुल्लू	56430
		योग	**₹133703**

अतः जल प्रभार की लम्बित ₹133703 की वसूली हेतु शीघ्र उचित पग उठाए जाएं एवं कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 कार्य का नाम : Office block and residential accommodation to pollution control board at Bilaspur. SH. C/o Office block and residential accommodation 2 Nos. including internal and external services and development of Site

अनुबन्ध संख्या : 60 of 2011–2012

संविदाकार का नाम : मैसर्ज स्ट्राइकर एण्ड ब्रदर्ज

माप पुस्तिका : 1415, 1420, 1363

अनुमानित राशि : ₹8904366.00

आवंटित राशि : ₹9008197.00

आवंटन पत्र संख्या : HIMUDA/MD/W-28/2010-9121-30 DT. 7.3.2011

चलत बिल संख्या : पांचवां चलत बिल

संविदाकार को ₹0.68 लाख का अधिक भुगतान

(क) उक्त निर्माण कार्य के पांचवें चलत बिल की जांच में पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों, जिनका विवरण निम्नलिखित है, की गलत गणना करने के कारण संविदाकार को ₹21027.80 का अधिक भुगतान किया गया। अतः गलत गणना के कारण किए गए अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली यथाशीघ्र संविदाकार से करने के उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त चलित बिल में गणना में इतनी अधिक गल्तियों से स्पष्ट है कि मण्डल स्तर पर माप पुस्तिकाओं की गणना की जांच का कार्य संतोषजनक नहीं है, जिस बारे उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

क्र0 सं0	मद सं0	माप पुस्तिका सं0	पृ0 सं0	मद का विवरण	वास्तविक मात्रा	मात्रा जो ली गई	अधिक ली गई मात्रा	दर	राशि
1	80/12	1415	79	P/L C.C. 1:2:4 in all leads & lifts wall (any thickness)	1.90m^3	1.91m^3	0.01m^3	4000	40.00
2	15/18	1415	48,	P/L C.C. 1:5:10	96.85m^3	97.	0.20m^3	1900	380.00

			52	with 15% plum in all leads & lifts		05m^3			
3	29／43	1415	62	P/F Almunium Towel bolt in all leads & lifts 150x10mm	90 No.	91 No.	1 No.	35	35.00
4	35／54	1415	93	C.C Flooring 1:2:4 40 mm thick	33.92m^2	65. 42m^2	31.50m^2	160	5040.00
5	45／75(a)	1415	27	Steel work welded in built up section (in beams joints channels etc.) (Rate charged @₹5580 Qtl instead of ₹5500 Qtl,)	85.83 Qtl.	85.83 Qtl.	Excess rate charged @ ₹80 Qtl.	–	6866.40
6	45／75(b)	1415	67	-do- (in grating fromed grand bars)	4.81 Qtl.	4.95 Qtl.	0.14Qtl.	5800	812.00
7	48／80	1415	100	Applying priming coat on external surface 100mm dia.	59.72mt.	73. 33mt.	13. 611mt.	15	204.15
8	50／82	1415	100	Painting two coats on external surface 100 mm dia.	59.72mt.	73. 33mt.	13. 611mt.	30	408.30
9	51／83	1415	76	Applying priming coat over nero wood and wood based surface	408.99m^2	421. 06m^2	12.07m^2	20	241.40
10	52／84	1415	77	Painting coats on new wood & wood based surface 100 mm dia.	408.99m^2	421. 06m^2	12.07m^2	65	784.55
11	64／28	1415	59	P/F 12 mm thick prelaminatinal based 40 mm thick	44.99m^2	45. 08m^2	0.09m^2	2400	216.00
12	1／1 (Annu-B)	1415	99	P/F to wall celling and floors specification 15 mm nominal base	707. 83Rmt	755. 83Rmt	48Rmt	125	6000.00
									₹21027.80

(ख) प्रतिस्थापित मदों (Subsitute items) की दरें अनुबंध के क्लॉज 12(ii) के अनुसार निर्धारित न करने के कारण ₹0.29 लाख का अनियमित भुगतान

उक्त निर्माण कार्य के पांचवें चलित बिल से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि निर्माण मण्डल द्वारा Schedule of Quantity की मद संख्याः 60 से 63 (जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है) को प्रतिस्थापित (Substitute) निष्पादित किया गया था। मण्डल द्वारा इन प्रतिस्थापित मदों (Substitute items) की दरों का निर्धारण／दर विश्लेषण (Analysis of Rules) बनाते समय प्रतिस्थापित मदों का Mean Rate लिया गया था, जबकि अनुबन्ध पत्र के क्लॉज 12(ii) के अनुसार प्रतिस्थापित मदों (Substitute items) की दरों का निर्धारण Similar class of work की दरों के अनुसार किया जाना अपेक्षित था। अनुबन्ध की क्लॉज 12(ii) के अनुसार "If the rates for the additional, altered or substituted works are not specifically provided in the contract for the work, the rates will be derrived from the rates for a similar class of work as are specified in

the contract for the work"। इस सन्दर्भ में प्रतिस्थापित की गई मदों की दरों की गणना अनुबन्ध के क्लॉज 12(ii) अनुसार करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹28577 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई ₹28577 की वसूली यथाशीघ्र संविदाकार से करने के उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मण्डल द्वारा Mean Rate का निर्धारण करते समय एक ऐसी मद (मद संख्याः 64 of Schedule of Qty) को भी लिया गया है, जिसे प्रतिस्थापित (Substitute) नहीं किया गया था एवं इस मद को प्रतिस्थापित मदों (Substitute items) के निर्धारण में लेने के कारण प्रतिस्थापित मदों पर (+) 3.16% above प्रीमियम का भुगतान Schedule Rate पर किया गया है। यदि इस मद को प्रतिस्थापित मदों (Substitute items) के Mean Rate निर्धारण में न लिया जाता तो प्रीमियम (–)2.632 आता एवं इस परिस्थिति में भी संविदाकार को इस प्रकार ₹23344.10 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः प्रतिस्थापित न की गई मद को प्रतिस्थापित मदों की दर गणना में लेने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अगर प्रतिस्थापित मदों की दरों का निर्धारण Mean Rate पर नियमानुसार किया गया है, तो इस संदर्भ में नियम/अनुबन्ध के क्लॉज जिसके अन्तर्गत भुगतान किया गया है से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

अनुबन्ध की मद सं0	मद का विवरण	संविदाकार द्वारा दी गई दर	Schedule Rate of Item ₹	प्रस्थापित (Substitute) मद का विवरण	प्रस्थापित (Substitute) मद की Schedule दर	संविदाकार को दी गई दर ₹	निष्पादित मात्रा	अंकेक्षण द्वारा प्रतिस्थापित मद की निकाली गई दर की गणना Rates Quohed-Scheduled Rates Quoted Rate x100	अंकेक्षण द्वारा निकाली गई प्रतिस्थापित मद की मद ₹	अधिक दी गई दर ₹	कुल अधिक भुगतान	टिप्पणी
60	P/F CGI Sheets Roofing--- 0.63mm. thick sheet	595 per Sq Rmt.	621.15 per Sq Rmt.	P/F 0.60mm prepainted sheets	842.00 per Sq mt.	868.60 per Sq mt.	434.36 Sq mt.	595-621.15x100 =(-) 4.39% below	842+(-) 439%= 805.04 Per Sq mt.	63.56 Per Sq mt.	27607	मण्डल द्वारा प्रतिस्थापित मदों की दर का निर्धारण Schedule Rate पर(+)3.15% प्रीमियम देकर किया गया है
61	Prov. Ridges or hops 60cm over all in plain Gi sheets 0.63mm thick sheet	350 per mtr.	383.15 per mtr.	Prov. Ridges hips 0.60mm thick sheet of prepointed	391.30 per Rmt.	403.66 per Rmt.	63.30 Rmt.	350-383.15x100 350=(-) 9.47% below	391.30+ (-) 9.47%= 354.24 Per Sq mt.	49.42 Per Rmt.	3128	
62	Prov. Valleys 90 cm	450 per Rmt.	450.55 per Rmt.	P/F 0.60mm valley of prepointed	409.70 per Rmt.	422.64 per Rmt.	18.20 Rmt.	450-450.55x100 450=(-)	409.70+ (-) 0.12%=	13.43 Per Rmt.	244	

	over all in plain 67 sheets			sheets				0.12% below	409.21 Rmt.			
63	Prov. Flushing 38 cm--- 0.63 mm thick sheet	400 per Rmt.	206.65 per Rmt.	P/F Flushing 38cm of prepointed sheets	335.60 per Rmt.	346.20 per Rmt.	15.85 Rmt.	400-206.65 x100 =(-) 48.34% above	335.60+ (-) 4834%= 497.83 Rmt.	(-) 151.63 Per Rmt.	(-) 2403	
										योग	₹28577	

(ग) स्टील की निर्गम दर की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.19 लाख का अधिक भुगतान

अभिलेख की जांच में पाया गया कि अनुबन्ध के अनुसार स्टील की निर्गम दर (Issue Rate) ₹44.360 प्रति M.T. था, किन्तु संविदाकार को जारी स्टील की वसूली ₹43600 प्रति M.T. की दर से की गई थी एवं इस प्रकार ₹760 प्रति M.T. स्टील की दर से कम वसूली की गई थी। संविदाकार को पांचवें चलत बिल तक कुल 2.46 M.T. स्टील जारी/निर्गम किया गया था एवं इस प्रकार उनसे कुल ₹18718.04 (2.46x760) की वसूली की जानी अपेक्षित थी, जिसकी वसूली संविदाकार से शीघ्र करने के उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 कार्य का नाम : C/o Police Buildings under Modernization of Police Forces scheme. SH: C/o Police Station including internal W.S & S.I, C/o 10000 Litres rain water harvesting tank, secipfic tank and development of Site at Gohar, Distt. Mandi H.P.

अनुबन्ध : 24 of 2011–2012

संविदाकार का नाम : श्री नारायण दास नायक

मापपुस्तिका : 1384, 1385

आवंटित राशि : 7513413

आवंटन पत्र संख्या : HIMUDA/MD/W-28/2010–9851–60 dt. 28.3.2011

चलत बिल संख्या : आठवां एवं अन्तिम बिल

संविदाकार से अनुबन्ध के क्लॉज42(ii) के अनुसार ₹0.09 लाख की वसूली न करना

उपरोक्त वर्णित कार्य के सीमेंट से सम्बन्धित खपत विवरण (Consumption statement) की जांच में पाया गया कि माप पुस्तिकाः 1384 के पृष्ठ संख्याः 85 के अनुसार Schedule of Quantity की मद संख्याः 32 "Brick masonary chamber 455x610x450mm" में 5 नंबर चैम्बर का निर्माण किया गया था, जबकि बिल में लगाए गए खपत विवरण में यह मात्रा 51 नंबर दर्शाकर सीमेंट की खपत इस मद हेतु 72.42 बैग (51x1.42) दर्शाई गई थी, जोकि वास्तव में 7.10 बैग (5x1.42) बनती थी। इस प्रकार इस कार्य हेतु कुल थियोरिटिकल खपत (Theoritical Consumption) 2721 बैग के स्थान पर 2787 बैग दर्शाई गई थी। यदि कुल वास्तविक

थियोरिटिकल खपत 2721 सीमेंट बैग में 3% मान्य विचलन (Approved Deviation) को जमा कर दिया जाए, तो वास्तविक थियोरिटिकल खपत 2803 सीमेंट बैग (2721+82@3%Wastage) बनती है, जबकि संविदाकार से इस कार्य की 2855 सीमेंट बैग की राशि की वसूली की गई है, जोकि कुल वास्तविक थियोरिटिकल खपत (Actual Theoritical Consumption) से 52 सीमेंट बैग अधिक है। नियमानुसार अनुबन्ध के क्लॉज 42(ii) के अनुसार "Over this theoretical quantity of cement shall be allowed a variation. The difference in quantity of cement actually issued to the contractor and the theoretical quantity including authorized variation if not returned by the contractor will be recovered from the contractor at twice the issue rate including storage charges, without pre judice the provision of the relevant conditions regarding return of materials governing the contract."। अतः अनुबन्ध के उपरोक्त वर्णित क्लॉज के अनुसार संविदाकार से 52 सीमेंट बैग की राशि की वसूली निर्गम दर से दोगुनी दरों पर की जानी अपेक्षित थी, क्योंकि संविदाकार से पूर्व में ही 52 सीमेंट बैग की वसूली निर्गम दरों पर की जा चुकी थी। अतः अब शेष वसूली संविदाकार से ₹9412(52x181) की वसूली भी अपेक्षित है, जिसे शीघ्र संविदाकार से करने उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाया जाए एवं कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10 कार्य का नामः Partially self financing scheme at Hamirpur (H.P)
SH: Construction of 12 Nos. cat.-I and 12 Nos. cat.-II Flats with parking floor including internal and external services and development of site.

अनुबन्ध संख्या : 15 of 2014–2015,
संविदाकार का नाम : मैसर्ज कुमार एसोसिएट्स
माप पुस्तिका : 1453, 1454, 1455, 1456, 1457
आवंटित राशि : 44425913.75
आवंटन पत्र संख्या : HIMUDA/MD/W-28/2013–5301–11 dt. 20.1.2014
चलत बिल संख्या : प्रथम चलित बिल,
संविदाकार को ₹0.19 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त चलित बिल की जांच में निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियां पाई गईं:–

(क) गलत गणना के कारण ₹1400 का अधिक भुगतान

मद संख्याः 21 "Stone filling behind retaining wall including carriage of material in all leads & lifts" माप पुस्तिका : 1453, पृष्ठ 14 की जांच में पाया गया कि उक्त मद की रिकॉर्ड प्रविष्टियों का वास्तविक योग 39.19m^3 बनता था, जबकि इसकी कुल मात्रा 41.19m^3 दर्शाई गई। इस प्रकार संविदाकार को 2.00m^3 मात्रा का ₹700 प्रति m^3 की दर से कुल ₹1400 का अधिक भुगतान

किया गया। अतः संविदाकार को अधिक भुगतान की गई ₹1400 की वसूली करने के उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) स्टील का गलत फैक्टर लगाने एवं गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.18 लाख का अधिक भुगतान

(i) उपरोक्त वर्णित कार्य की मद संख्याः 12 "Prov. tor steel Rainforcement for R.C.C work including beneling binding… in all leads & lifts" में करवाए गए कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियों की जांच में पाया गया कि 8m.m टी0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रति मीटर के लिए 0.395 कि0ग्रा0 का फैक्टर लगाकर गणना की गई है, जबकि सही गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रति मीटर का फैक्टर लगाकर की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार संविदाकार को जारी किए गए तथा प्रयोग में लाए गए 46770.04 रनिंग मीटर हेतु 233.76 कि0ग्रा0 अधिक स्टील की मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹44376 प्रति एम0टी0 की दर से कुल ₹10373.34 का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	माप पुस्तिका	पृष्ठ सं0	माप पुस्तिका में दर्ज रनिंग मीटर	माप पुस्तिका में दर्ज कि0ग्रा0	(0.395 प्रति रनिंग मीटर)
1	1453	18	301.50	119.09	
2	1454	4	859.48	339.49	
3	1454	7	650.28	256.86	
4	1454	8	101.15	39.95	
5	1454	9	149.70	59.13	सही गणना (0.39
6	1454	12	1732.05	984.16	कि0ग्रा0 प्रति रनिंग
7	1454	13	915.40	361.58	मीटर अनुसार)
					46770.04x0.39 =18240.32 कि0ग्रा0
8	1454	15	1034.54	408.64	
9	1454	21	4800.53	1896.20	
10	1454	26	4265.23	1684.76	अधिक गणना ली गई
11	1454	28	843.84	333.31	मात्रा
12	1454	29	799.34	315.73	18474.08–18240.32
					=233.76 कि0ग्राम
13	1454	37	4872.23	1924.53	
14	1454	42	4222.75	1667.98	
15	1454	43	794.40	313.79	
16	1454	44	661.44	261.27	
17	1454	51	4377.20	1728.99	
18	1454	56	4261.70	1683.37	
19	1454	57	403.20	159.26	
20	1454	58	528.48	208.75	
21	1454	62	7482.05	2955.40	

22	1454	64	1362.81	538.30
23	1454	67	1350.74	533.54
		योग	**46770.04 रनिंग मी0**	**18474.08 कि0 ग्रा0**

(ii) माप पुस्तिका : 1454, पृष्ठ : 17 में इसी मद (मद संख्या : 12) की जांच में पाया गया कि बीम संख्याः A_1'-B_2' हेतु 29.10 रनिंग मीटर (6x4.85) 16 एम0एम0टी0एम0टी0 स्टील प्रयोग में लाई गई थी, किन्तु इसे रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय 16m.m का फैक्टर लगाने के स्थान पर 20 m.m का फैक्टर लगा दिया गया तथा इस प्रकार कुल 25.90 किलोग्राम स्टील (71.88–45.98) का अधिक भुगतान संविदाकार को कर दिया गया।

(iii) मद संख्या : 12 (माप पुस्तिका : 1454, पृष्ठ : 31) की जांच में पाया गया कि 16mm स्टील की कुल मात्रा रिकॉर्ड प्रविष्टि अनुसार 102 रनिंग मीटर बनती थी, किन्तु उसे 181.40 रनिंग मीटर लिया गया था। इस प्रकार संविदाकार को 79.40 रनिंग मीटर, कुल 125.45 किलोग्राम (79.40x1.58) का अधिक भुगतान किया गया।

(iv) माप पुस्तिका : 1454, पृष्ठ : 30 से 36 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों का कुल योग 4866.83 रनिंग मीटर बनता है, जिसे 4872.23 रनिंग मीटर लिया गया है एवं 5.4 रनिंग मीटर अधिक योग लेने के कारण कुल 2.11 कि0ग्रा0 स्टील का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया।

(v) इस मद (मद संख्या : 12) में माप पुस्तिका 1454, पृष्ठ संख्या : 59 द्वारा बीम A_1'-B_2'/ A_8–B_9 हेतु 12m.m का 29.70 रनिंग मीटर (2x3x4.95) स्टील का प्रयोग दर्शाया गया है, किन्तु इस 12m.m स्टील को किलोग्राम में बदलते समय 16m.m स्टील का फैक्टर लगाने के कारण 20.50 किलोग्राम स्टील (46.93–26.43) का अधिक भुगतान किया गया है।

अतः इस प्रकार क्रम संख्या : (i) से (v) द्वारा संविदाकार को ₹407.72 कि0ग्रा0 स्टील (233.76+25.90+125.45+2.11+20.50) का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली अनुबन्धित दर ₹44376 प्रति एम0टी की दर से कुल ₹18093 की वसूली शीघ्र संविदाकार से करने उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 **कार्य का नाम : C/o 4 Nos. Type-II Resedential Quarters including Internal and external services, Development of site for police Department at Dhangsidhar, Mandi**

अनुबन्ध संख्या : 29 of 2013–2014
संविदाकार का नाम : श्री चेतन वैद्य, मण्डी
माप पुस्तिका : 1405,1406
अनुमानित राशि : 3597207.00
आवंटित राशि : 4559868.88
आवंटन पत्र संख्या : HIMUDA/MD/W-28/2013–3644–53 dt. 21.10.2013
चलत बिल संख्या : तीसरा चलित बिल
संविदाकार को ₹0.16 लाख का अनुचित लाभ/अधिक भुगतान

उपरोक्त बिल की जांच में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियां हैं, जिनका निराकरण अपेक्षित है।

(क) गलत गणना के कारण ₹211.50 का अधिक भुगतान

जांच में पाया गया कि मद संख्या : 6 (d) "Providing form work steel plates… (d) Beams, contilevers, griders… in all heights from floor" में गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹211.50 का अधिक भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया।

ली गई गणना	सही गणना	अधिक मात्रा	दर	अधिक भुगतान
6.86m²	5.96m² (2ग0.335ग0.15)	0.90 m²	235	211.50

अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संविदाकार से करने उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) संविदाकार से अनुबन्ध के क्लॉज 42(ii) के अनुसार ₹0.16 लाख की वसूली के सन्दर्भ में

उक्त चलित बिल के सीमेंट से सम्बन्धित खपत विवरण (Consumption Statement) की जांच में पाया गया कि तीसरे चलित बिल तक संविदाकार को 1465 बैग सीमेंट जारी किया गया था एवं संविदाकार द्वारा 1415 बैग की वास्तविक खपत दर्शाई गई थी तथा इतने ही सीमेंट बैग की वसूली संविदाकार से की गई थी। जांच में पाया गया कि उक्त खपत विवरण (Consumption Statement) में मद संख्या : 21/23 "R.R... in 1:6" की मात्रा 80.44m³ (माप पुस्तिका : 1465, पृष्ठ : 70) में जमा नहीं की गई थी, जिसमें सीमेंट की कुल खपत 133 बैग (80.44x1.65=132.73) बनती थी। सीमेंट की इस मद को जमा करने उपरान्त सीमेंट को थियोरिटिकल खपत (Theoritical Consumption) कुल 1538.21 बैग (1405.48 (पूर्व Theoritical Consumption) + 132.73 (इस मद की Theoritical Consumption) बनती थी एवं इस थियोरिटिकल खपत में 3% की विचलन (Deviation) कम करने के उपरान्त कुल खपत 1492 सीमेंट बैग बनती थी। जांच में पाया गया कि मण्डल द्वारा संविदाकार को 1465 सीमेंट बैग जारी किए गए थे एवं 1415 सीमेंट बैग की वास्तविक खपत इस चलित बिल तक की गई थी। इस प्रकार संविदाकार द्वारा कुल 77 सीमेंट बैग की खपत मान्य विचलन (Approved Deviation) से कम की गई थी। अनुबन्ध के क्लॉज–42(ii) के अनुसार "Over this theoretical quantity of cement shall be allowed a variation. In the event of it being discovered that the quantity of cement used is less than the quantity ascertained as here in before provided (allowing variation on the minus side as stipulated above) the cost of the quantity of cement not to used shall be recovered from the contractor on the basis of stipulated issue rate including storage charges and cartage to site"। अतः अनुबन्ध के उक्त वर्णित क्लॉज के अनुसार संविदाकार से 77 सीमेंट बैग की राशि की वसूली निर्गम दर (Issue Rate) पर की जानी अपेक्षित है। मण्डल स्तर पर उस समय सीमेंट की निर्गम दर (Issue Rate) ₹214 प्रति

बैग था। अतः इस प्रकार संविदाकार से कुल ₹16478 (77x214) की वसूली अपेक्षित है, जिसे शीघ्र सम्बन्धित संविदाकार से करने उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाया जाए एवं कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

12 **कार्य का नाम : Extention of Tank at Deoli, Ghagas, Bilaspur.**
SH: P/L C.C Filling with good earth in Tank No. 2 to 13, Expended Metal Fencing

अनुबन्ध संख्या : 20 of 2013–2014
संविदाकार का नाम : श्री अश्निल चन्द कटोच
माप पुस्तिका : 1419, 1413
अनुमानित राशि : 9809697
आवंटित राशि : 8417747
आवंटन पत्र संख्या : HIMUDA/MD/W-28/2012–1633–42 dt. 4.7.2013
चलत बिल संख्या : पांचवां चलत बिल

संविदाकार को ₹0.11 लाख के अधिक करना एवं ₹41.05 लाख की मदों का अनुबन्ध में वर्णित मदों से अधिक भुगतान करना

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य के पांचवें चलित बिल जांच में निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियां पाई गई, जिनका निराकरण अपेक्षित है।

(क) ₹0.11 लाख के अधिक भुगतान के सन्दर्भ में

अभिलेख की जांच में पाया गया कि माप पुस्तिका : 1413 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों, जिनका विवरण निम्नलिखित है, में गलत गणना अथवा गलत योग करने के कारण संविदाकार को ₹11357 का अधिक भुगतान किया गया।

क्र0 सं0	टेण्डर अनुसार क्रमांक	माप पुस्तिका	पृ0 सं0	मद विवरण	वास्तविक मात्रा	माप पुस्तिका में दर्ज मात्रा	अधिक ली गई मात्रा	दर	राशि
1	11 (b)	1413	69	P/L Machenically mixed Reinforced concrete (b) Wall (any thickness) $\frac{61.85+58.47}{2}$ x1.20x0.10	7.21m³	9.61m³	2.40m³	3250 P.R	7800.00
2	12	1413	60	Prov. for tor steel reinforcement for R.C.C. work (योग की गलत गणना)	15014. 78kg	15051. 10kg	35.32kg	55	1942.60
3	24	1413	70	Extra for providing & mixing water proofing material is dr. fixed @ 1kg	790Lt.	807Lt.	17Lt.	95	1615.00

per 50 kg of
cement…

योग ₹11357.60

अतः उपरोक्त विवरणानुसार किए गए अधिक भुगतान की ₹11357 की वसूली यथाशीघ्र संविदाकार/उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुबन्ध प्रमात्रा से अत्याधिक कार्य निष्पादन करने के परिणामस्वरूप ₹41.06 लाख का संविदाकार को अनियमित भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु जारी आवंटन पत्र के साथ संलग्न Terms & Condition क्रमांक : 6 अनुसार "No deviation is permissible at sight without prior written approvel of the competent authority"। किन्तु इस निर्माण कार्य के विभिन्न चलित बिलों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित मदों का निष्पादन टेण्डर में दी गई मात्रा से अत्याधिक मात्रा करने के कारण पांचवें चलत बिल तक संविदाकार को कुल ₹4105776 का अनियमित भुगतान/व्यय किया जा चुका था, जबकि उक्त मदों की अधिक प्रमात्रा के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई पूर्व अनुमति/स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप यह अधिक व्यय अनुबन्ध की मान्य शर्तों का सीधा उल्लंघन था। अतः अनुबन्ध में निर्धारित प्रमात्रा से अधिक प्रमात्रा का भुगतान संविदाकार को करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं साथ ही इन मदों पर किए गए अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए अन्यथा अनियमित रूप से किए गए व्यय की वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	मद सं0	मद का विवरण	टेण्डर अनुसार निष्पादित की जाने वाली मात्रा	निष्पादित मात्रा	अधिक निष्पादित मात्रा	दर	राशि	न्यायोचित दर
1	3	Excavation Draining & Channels etc. in earth work in all leads & lifts	2869.4m³	4233.65m³	1364.25m³	120	163710.00	214.55
2	5	Cleaning jungle including unproofing of roads	2397.10m²	4926.18m²	2529.08m³	4	10116.32	6.25
3	8	P/L C.C. 1:6:12 and curing complete	6.41m³	727.11m³	720.7m³	2300	1657610.00	3124.65
4	14	R.R. Mosomary with hard stone of approved quality in	3.28m³	1140.45m³	1137.17 m³	2000	2274340.00	3579.50

foundation,
plinth in all
leads & lifts

योग ₹4105776.32

(ग) अनुबन्धित मद संख्या : 7 "P.L. C.C 1:4:8 Curing Complete in all leads & lifts" का निष्पादन न करने बारे

जांच में पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य के टेण्डर में मद संख्या : 7 "P.L. C.C 1:4:8 Curing Complete … in all leads & lifts" मात्रा 754.59m^3 के निष्पादन हेतु दरें आमन्त्रित की गई थीं, जिसके लिए संविदाकार द्वारा ₹1400 per m^3 की दर भरी गई थी, जबकि इस मद की न्यायसंगत दर ₹3696.75 per m^3 थी। अर्थात संविदाकार ने इस मद हेतु न्याससंगत दर से बहुत कम दरें भरी थीं, लेकिन इस मद का निष्पादन पांचवें चलत बिल तक नहीं किया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को भली–भांति ज्ञात था कि इस मद का निष्पादन कार्य नहीं किया जाना है। अतः संविदाकार ने इस मद की काफी कम दरें भरीं, ताकि कार्य का आवंटन उसके पक्ष में हो सके। इस प्रकार संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है। अतः इस मद के निष्पादन हेतु दरें आमन्त्रित करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति न की जाए।

(घ) अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उक्त कार्य का सम्पूर्ण निष्पादन दिनांक 18.1.2014 तक किया जाना अपेक्षित था, लेकिन दिनांक 31.3.2015 तक कार्य प्रगति पर था एवं जांच में पाया गया कि संविदाकार द्वारा बिना कोई कारण बताए समय विस्तार हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान करके समय विस्तार दे दिया गया था। अतः बिना किसी कारण का उल्लेख किए संविदाकार को दिए गए समय विस्तार बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुचित रूप से दिए गए समय विस्तार के कारण हिमुडा द्वारा संविदाकार पर अनुबन्ध के क्लॉज–2 के अनुसार कार्रवाई न करने के कारण हुई वित्तीय हानि बारे उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

13 कार्य का नामः Construction of Govt. ITI at Chachiot, Distt. Mandi (H.P) SH: C/o ITI Building including internal and external WS & SI, C/o Rain Water Harvesting Tanks, septic tank and development of site.

अनुबन्ध संख्या : 22 of 2013–2014
संविदाकार का नाम : श्री नारायण दास नाइक
माप पुस्तिका : 1464, 1408
अनुमानित राशि : 23280594.00
आवंटित राशि : 24402963.60
आवंटन पत्र संख्या : HIMUDA/MD/W-28/2012–379–89 dt. 23.4.2013

बिल संख्या : तीसरा चलित बिल

संविदाकार को ₹0.06 लाख का सम्भावित अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताओं के सन्दर्भ में

उपरोक्त वर्णित चलित बिल की जांच में निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियां पाई गई, जिनका निराकरण अपेक्षित है।

(क) ₹5621 का सम्भावित अधिक भुगतान

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य के तीसरे चलित बिल की जांच में पाया गया कि मद संख्या : 12 "Prov. for steel Reinforcement for R.C.C work including bending… in all leads & lifts" के अन्तर्गत उक्त निर्माण कार्य में सभी रिंग्स (Rings) हेतु 8mm टोर स्टील का प्रयोग किया गया था, किन्तु माप पुस्तिका : 1464 के पृष्ठ 39 एवं 40 की जांच में पाया गया कि निम्न वर्णित पिल्लरों हेतु पहले 8mm स्टील के रिंग्स की रिकॉर्ड प्रविष्टियां की गई थीं, किन्तु बाद में माप पुस्तिका के उक्त वर्णित पृष्ठों में अभिलेखन कर इन रिंग्स (Rings) हेतु 10mm स्टील की रिकॉर्ड प्रविष्टियां दर्ज की गई हैं, जिनका सम्पूर्ण विवरण निम्नलिखित है।

क्र0 सं0	पिल्लर क्रमांक	माप पुस्तिका	पृ0 सं0	गणना	10mm स्टील की मात्रा (kg.)	8mm अनुसार स्टील की मात्रा (kg.)	अधिक ली गई मात्रा
1	$(C_3–C_4)$ $(D_3–D_4)$	1464	39	2x2x40x1.96 =313.60Rmt.	194.43kg.	122.30kg.	72.13kg.
2	$A_3–B_3–C_2–D_2–E_3$	1464	40	2x27x1.96 =105.84Rmt.	65.62kg.	41.28kg.	24.34kg.
3	$A_4–B_4–C_3–D_3–E_4$	1464	40	2x27x1.96 =105.84Rmt.	65.62kg.	41.28kg.	24.34kg.
						योग	**120.81kg.**

माप पुस्तिका में अभिलेखन (Overwriting) करके 8mm स्टील की जगह 10mm स्टील के प्रयोग की प्रविष्टियों को न तो सहायक अभियन्ता से पुनः सत्यापित करवाया गया था एवं न ही अधिशाषी अभियन्ता से इन प्रविष्टियों को सत्यापित करवाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में सम्पूर्ण तथ्यों को सम्बन्धित अभिलेख सहित अवगत करवाया जाए कि जब सम्पूर्ण निर्माण कार्य में रिंग्स हेतु 8mm स्टील का प्रयोग किया गया था, तो केवल मात्र उक्त वर्णित पिल्लरों में ही 10mm स्टील के रिंग्स का प्रयोग क्यों किया गया अन्यथा रिकॉर्ड प्रविष्टियों अनुसार अधिक मात्रा में भुगतान की गई स्टील की मात्रा 120.81 कि0ग्रा0 की अनुबन्धित दर ₹46530 प्रति M.T. की दर से ₹5621 की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुबन्ध प्रमात्रा से अत्याधिक प्रमात्रा के कार्य निष्पादन से ₹20.09 लाख का अनियमित भुगतान करना

उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि मद संख्या : 21 "R.R. masonary with hard stone of approved quality in foundation & plinth including leveling up with C.C 1:6:12… in cement martor 1:6 including carriage of material in all leads and lifts." टेण्डर अनुसार 31.55m³ निष्पादित की जानी थी, किन्तु तीसरे चलत बिल तक इस मद की कुल 804.24m³ मात्रा का निष्पादन किया जा चुका था। इस प्रकार टेण्डर में वर्णित मात्रा से कुल 777.69m³ मात्रा का अधिक निष्पादन किया गया, जिसकी कुल ₹2008994 (772.69x2600/m³) बनती है। जांच में पाया गया कि मण्डल अधिकारियों द्वारा अत्याधिक कार्य मात्रा के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी, जबकि आवंटन पत्र में दर्ज/वर्णित शर्त क्रमांक : 6 के अनुसार "No deviation is permissible at sight without prior written approval of the competent authority"। अतः सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना टेण्डर में वर्णित मात्रा से 772.69m³ अधिक मात्रा का निष्पादन, जोकि टेण्डर में वर्णित मात्रा का लगभग 2450% अधिक था अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है, जिसके सन्दर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए अवलिम्ब इसकी कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जाए एवं कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) अनुबन्धित मद "P/L C.C 1:5:10 with 15% Plum… in all leads and lifts" का निष्पादन न करने बारे

जांच में पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य के टेण्डर में मद संख्या : 16 "P/L C.C 1:5:10 with 15% Plum… in all leads and lifts" की 439.68m³ मात्रा हेतु द्वारा ₹2059 प्रति m³ की दर भरी थी, किन्तु उक्त कार्य के तीसरे चलित बिल तक इस मद का निष्पादन नहीं किया गया था, जबकि निर्माण कार्य लगभग 60% पूरा हो चुका था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस मद का निष्पादन मण्डल द्वारा नहीं करवाया जाना था एवं संविदाकार ने इस मद हेतु कम दरें भरी थीं, क्योंकि निर्माण मण्डल द्वारा इस मद के स्थान पर मद संख्या : 21, जिसका विवरण "उपरोक्त–ख" में दिया गया है का निष्पादन करवाया गया है। मण्डल द्वारा उपरोक्त वर्णित दोनों मदों (मद संख्या : 16 एवं 21) की न्यायसंगत दरों से सम्बन्धित अभिलेख भी वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इन मदों की न्यायसंगत दरों से सम्बन्धित अभिलेख एवं मद संख्या : 16 का निष्पादन न करने से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं अन्य वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) संविदाकार को कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु समय का विस्तार प्रदान किए बिना ही अनाधिकृत तरीके से कार्य करवाने बारे

अनुबन्ध पत्र के अनुसार संविदाकार को उक्त कार्य हेतु एक वर्ष का समय दिया गया था, जिसके अनुसार यह कार्य 7.5.2014 तक निष्पादित किया जाना था, किन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि तक इस कार्य का निष्पादन नहीं किया गया था एवं न ही संविदाकार को कार्य के निष्पादन हेतु दिए गए समय विस्तार (Extension of Time) से सम्बन्धित अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए, जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि संविदाकार को कार्य निष्पादन हेतु समय विस्तार दिया गया था अथवा नहीं? अतः इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

14 कार्य का नाम : Construction of Trout Fish from at Janjheli, Mandi
SH: P/L 200 mm dia HDPE Pipe line including desilting tank
अनुबन्ध संख्या : 8 of 2013–2014
संविदाकार का नाम : श्री दिनेश वैद्य
माप पुस्तिका : 1399
अनुमानित राशि : 1496418
आवंटित राशि : 2505733.45
आवंटन पत्र संख्या : HIMUDA/MD/W-28/2013–1846–54 dt. 12.7.2013
बिल संख्या : तीसरा चलित बिल

संविदाकार को दिए ₹6.02 के सुरक्षित अग्रिम (Secured Advance) को समायोजित न करना

(क) उपरोक्त निर्माण कार्य के तीसरे चलित बिल की जांच में पाया गया कि मण्डल द्वारा संविदाकार को उक्त निर्माण कार्य दिनांक 12.7.2013 को आवंटित किया गया था एवं इस कार्य के निष्पादन हेतु तीन माह का समय निर्धारित किया गया था। संविदाकार ने यह कार्य दिनांक 27.7.2013 को प्रारम्भ किया एवं इस प्रकार यह कार्य 26.10.2013 को सम्पूर्ण हो जाना चाहिए था। अभिलेख की जांच में पाया गया कि 31.3.2015 तक भी संविदाकार द्वारा कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में अनुबन्ध के क्लॉज–2 के अनुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी। अतः उक्त कार्य में अनुबन्ध के क्लॉज–2 के अनुसार कार्रवाई न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वस्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) विभाग द्वारा उपरोक्त कार्य में वर्णित मद "HDPE Pipe PE 100 NP-10, 200 mm dia"-300Rmt. हेतु दिनांक 18.9.2013 को (माप पुस्तिका : 1399, पृष्ठ : 4) के अनुसार संविदाकार को उक्त पाइपों के लिए ₹601875 का सुरक्षित अग्रिम (Secured Advance) दिया गया था। जांच में पाया गया कि तीसरे चलत बिल तक (माप पुस्तिका : 1399, पृष्ठ : 46 से 53) दिनांक 29.10.2014 तक संविदाकार द्वारा उक्त पाइपों का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। अतः पाइपों को

बिछाने का कार्य निष्पादित करने से लगभग एक वर्ष पूर्व संविदाकार को उस मद हेतु सुरक्षित अग्रिम देने एवं समय पर कार्य का निष्पादन न करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए वस्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

15 **कार्य का नाम : Setling up of Institute of Driving Training and Rsearch at Sarkaghat–SH: Construction of Hostel Building Block including internal water supply & sonetary Installation & 500 ft. Capacity rain water harvesting Tank.**

अनुबन्ध संख्या : 41 of 2012–2014
संविदाकार का नाम : श्री चेतन वैद्य
माप पुस्तिका : 1445, 1447, 1351
अनुमानित राशि : 15927451
आवंटित राशि : 19083453
आवंटन पत्र संख्या : HIMUDA/MD/W-28/2012–3588–97 dt. 31.8.2012
बिल संख्या : छठा चलित बिल

संविदाकार से सीमेंट की ₹0.04 की कम वसूली करने एवं ₹1.07 का अनुचित लाभ देने के सन्दर्भ में

उपरोक्त चलित बिल की जांच में निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियां पाई गई, जिनका निराकरण अपेक्षित है।

(क) संविदाकार से सीमेंट की ₹.04 लाख की कम वसूली करना

उक्त निर्माण कार्य के चलित बिलों की जांच में पाया गया कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में दर्ज सीमेंट की वास्तविक खपत एवं संविदाकार से की गई सीमेंट की वसूली की मात्रा में अन्तर पाया गया। अंकेक्षण द्वारा इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अवधि तक किए गए भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि इस अवधि तक संविदाकार को इस कार्य के नौ चलत बिलों का भुगतान किया जा चुका था एवं माप पुस्तिका : 1509, पृष्ठ : 56 के अनुसार उससे कुल 4707 बैग सीमेंट की वसूली दर्शाई गई थी, किन्तु जांच में पाया गया कि संविदाकार से वास्तव में 4687 सीमेंट बैग के मूल्य की वसूली ही की गई थी। अतः इस प्रकार 20 सीमेंट बैग की कम वसूली उससे की गई थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए शेष 20 सीमेंट बैग की वसूली अनुबन्ध दर ₹214 प्रति सीमेंट बैग की दर से करके कुल ₹4280 यथाशीघ्र उससे की जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹1.08 लाख का संविदाकार को अनुचित लाभ

उपरोक्त कार्य की न्यायसंगत दरों की जांच के दौरान पाया गया कि कार्य को संविदाकार के पक्ष में अवार्ड के समय मुख्य मदों की न्यायसंगत दरों को नजरांदाज किया गया था एवं संविदाकार के पक्ष में न्यायसंगत दरों से अधिक दरें अनुमोदित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया

गया था, जिससे संविदाकार को उपरोक्त कार्य की विभिन्न मदों की अनुमानित मात्रा के आधार पर ₹107651 का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं जांच–पड़ताल करके उचित स्त्रोत से इसकी वसूली करना भी सुनिश्चित की जाए। अधिक सम्भावित भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	मद सं0	अनुमानित मात्रा	न्यायसंगत दरें	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें	अधिक सम्भावित भुगतान
1	5(a)	186.60m^2	171.40	180.00	1604.76
2	5(f)	1195.18m^2	237.00	251.00	16732.52
3	9	5.40m^3	7649.55	8.000.00	1892.43
4	13	970.53m^2	19.00	20.00	970.53
5	14	105.60Rmt	15.30	20.00	496.32
6	18	654m^2	670.20	675.00	3139.20
7	28(a)	60No.	218.70	225.00	378.00
8	30(b)	1392No.	49.20	50.00	1113.60
9	30(c)	96No.	43.45	45.00	148.80
10	31	717No.	21.90	25.00	2222.70
11	32	24No.	239.00	250.00	264.00
12	34	15No.	148.80	150.00	18.00
13	35	71.28Rmt	120.00	150.00	2138.40
14	41	95.20Rmt	60.00	70.00	952.00
15	42	526.91m^2	939.25	950.00	5664.28
16	48	32351m^2	112.70	120.00	2361.62
17	49(b)	116.10Rmt	416.00	425.00	1044.90
18	49(c)	114.80Rmt	439.35	450.00	1222.62
19	51(a)	40No.	323.80	326.00	88.00
20	52	190No.	137.00	150.00	2470.00
21	53	155.26m^2	1547.10	1600.00	8213.25
22	61	3815.08 m^2	45.20	50.00	18312.38
23	62	1422.27m^2	67.50	75.00	10667.03
24	63	970.53m^2	75.55	100.00	23729.16
25	2	–	294.05	300.00	47.60
26	6(c)(ii)	–	464.20	490.00	285.60
27	7(a)	–	232.40	250.00	105.60
28	17	–	964.50	965.00	5.00
29	20	–	5000.00	5500.00	1000.00
30	23	–	129.00	150.00	294.00
31	34	–	99.55	100.00	13.95
32	41	–	2945.15	3000.00	54.85
				योग	**107651.40**

(ग) कार्य का निष्पादन पूर्व निर्धारित अवधि में सम्पन्न न करने बारे

उपरोक्त कार्य के आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार कार्य का पूर्ण निष्पादन दिनांक 14.9.2013 तक किया जाना था, लेकिन जांच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 तक कार्य प्रगति पर था। अतः संविदाकार द्वारा समय पर कार्य समाप्त न किए जाने की स्थिति में अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अनुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी। अतः अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अनुसार कार्रवाई न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

16 कार्य का नाम : Maintence of Office complex at Bhiuli, Mandi
अनुमानित राशि : 110344
आवंटित राशि : 150313.63
आवंटन पत्र संख्या : HIMUDA/MD/W-28/2014–559–67 dt. 21.5.2014
संविदाकार का नाम : मैसर्ज चेतन एसोसिएट्स मण्डी
अनुबन्ध संख्या : 14 of 2014–15
बिल संख्या : प्रथम एवं अन्तिम बिल
माप पुस्तिका : 1160, 1309
संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक/अनुचित भुगतान

उपरोक्त कार्य की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(क) माप पुस्तिका : 1160, पृष्ठ : 81 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों की जांच में पाया गया कि (उप–मण्डल कार्यालय की बाहरी दीवार में) मद संख्या : 12 "Finishing wall with weather proof exterior grade emulsion of approved clesign including carriage of material in all leads and lifts" में कुल मात्रा 33.13m^2 (3.00x7.00+3.85x3.15) दर्ज की गई थी, जबकि इसी दीवार पर यह मद पूर्ण करने से पूर्व की जाने वाली मदों, मद संख्या : 11 "Removing dry or oil bound distemper… in all leads and lifts" तथा मद संख्या : 6 "Applying Birla White wall care putty ove plaster surface… in all leads & lifts" में उक्त कार्य की मात्रा 47.95m^2 (6.85x7.00) दर्शाई गई थी एवं इतनी ही राशि का भुगतान संविदाकार को किया गया था। इस प्रकार मद संख्या : 11 एवं 6 द्वारा संविदाकार को 14.82m^2 (47.95m^2–33.13m^2) का अधिक भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया था।

मद संख्या : 6, 14.82m^2x45.00=666.90

मद संख्या : 11, 14.82m^2x6.00=88.92

अतः इस प्रकार संविदाकार को ₹755.82 का अधिक भुगतान किया गया।

(ख) जांच में पाया गया कि उक्त कार्य में वर्णित मद संख्या : 12 की कुल मात्रा रिकॉर्ड प्रविष्टियों के अनुसार मात्रा 630.53m^2 (माप पुस्तिका : 1160, पृष्ठ : 89) थी, किन्तु इस मात्रा को माप पुस्तिका :

1160, पृष्ठ संख्या : 89 में Abstract of cost में दर्ज करते समय 645.35 दर्शाया गया था एवं इस प्रकार संविदाकार को 14.82 की मात्रा का अधिक भुगतान ₹1037.40 (14.82m^2 x70.00/m^2) किया गया था। अंकेक्षण द्वारा यह प्रकरण मण्डल अधिकारियों के ध्यान में लाया गया, किन्तु अंकेक्षण के दौरान इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः संविदाकार को अधिक भुगतान की गई ₹1793.22(755.82+1037.40) की वसूली उचित स्त्रोत से शीघ्र करने उपरान्त मण्डल के खाते में जमा करवाई जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाए।

17 कार्य का नामः C/o Police Building under modernization of Police force-SH: C/O 2 Nos. Type-II Qtrs. On 1st floor of existing quarters including WS & SI at Police Station swarghat, Bilaspur.

अनुबन्ध संख्या : 12 of 2013–2014
संविदाकार का नाम : श्री मुनीष नेगी
माप पुस्तिका : 1417, 1487
अनुमानित राशि : 1372296
आवंटित राशि : 1919064
आवंटन पत्र संख्या : HIMUDA/MD/W-28/2013–1827–35 dt. 12.7.2013
बिल संख्या : तीसरा चलित बिल

संविदाकार को ₹534 अधिक भुगतान करना एवं अन्य अनियमितताओं के सन्दर्भ में

उपरोक्त चलित बिल की जांच में निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियां पाई गई, जिनका निराकरण अपेक्षित है।

(क) मद संख्या : 4 "Prov. and laying C.C. 1:2:4… including carriage of material in all leads and lift" (माप पुस्तिका : 1417, पृष्ठ : 39) की जांच में पाया गया कि उक्त मद की कुल मात्रा 7.27m^3 ($1 \times 1 \times 7.75 \times \frac{0.30+0.45}{2} \times 2.50$) बनती थी, जबकि यह मात्रा 7.35m^3 लिखी गई थी, एवं इतनी ही मात्रा का भुगतान संविदाकार को किया गया था। इस प्रकार ₹360(0.08m^3x4500) का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया था। इसी प्रकार मद संख्या : 6 "Prov. to steel reinforcement for RCC work… in all leads and lifts" में माप पुस्तिका : 1417, पृष्ठ संख्या : 39 की मात्रा को माप पुस्तिका : 1487, पृष्ठ : 6 पर ले जाते समय यह मात्रा 392.32kg के स्थान पर 395.32 किलोग्राम ले जाई गई एवं इस प्रकार कुल 3 किलोग्राम अधिक मात्रा दर्शाकर संविदाकार को ₹174(3x58) का अधिक भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को उपरोक्त विवरणानुसार अधिक भुगतान की गई ₹534 की वसूली उससे करने उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) विभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य के फर्श निर्माण (Floor) हेतु निम्नलिखित मदों का निष्पादन करवाया गया।

(i) मद संख्या : 2, P/L C.C 1:8:16… in all leads and lifts

(ii) मद संख्या : 7, Applying cement slury on R.C.C slab or cement concrete work using 2.75 buy per m^2… in all leads and lifts.

(iii) मद संख्या : 30, Pre cost terrazzo tiles hydrolic compressed 20mm thick in cement plaster 1:3 in all leads & lifts.

फर्श (Floor) निर्माण हेतु उपरोक्त वर्णित मदें इसी क्रम में निष्पादित की जानी अपेक्षित थीं अर्थात सर्वप्रथम मद संख्या : 2 तदोपरान्त मद संख्या : 7 एवं अन्त में मद संख्या : 30 का कार्य निष्पादन किया जाना अपेक्षित था। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं एवं चलित भुगतान बिलों की जांच में पाया गया कि संविदाकार द्वारा मद संख्या : 2 की कुल मात्रा एवं मद संख्या : 7 की कुल मात्रा का निष्पादन कार्य बाद में तीसरे चलित बिल में किया गया है, जिसका भुगतान तीसरे चलित बिल में दिनांक 1.10.2014 को (माप पुस्तिका : 1417, पृष्ठ : 45) किया गया है, जबकि मद संख्या : 30 की कुल मात्रा 98.13m^2 में से 81.19m^2 की रिकॉर्ड प्रविष्टियां एवं उसका भुगतान संविदाकार को दूसरे चलित बिल द्वारा दिनांक 5.12.2013 को (माप पुस्तिका : 1417, पृष्ठ : 24 एवं 31) ही किया जा चुका था एवं शेष मात्रा 16.94m^2 का भुगतान ही तीसरे चलित बिल में किया गया है। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संविदाकार द्वारा मद संख्या : 30 का निष्पादन सर्वप्रथम किया गया एवं तदोपरान्त मद संख्या : 2 एवं 7 का कार्य निष्पादित किया गया, जबकि मद संख्या : 7 एवं अन्त में मद संख्या : 30 का कार्य निष्पादित किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार इससे स्पष्ट है कि या तो संविदाकार द्वारा मद संख्या : 2 एवं 7 निष्पादित नहीं की गई है या फिर संविदाकार को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने हेतु मद संख्या : 30 की रिकॉर्ड प्रविष्टियां दूसरे चलित बिल में मद संख्या : 2 एवं 7 पूर्व कर दी गई है, क्योंकि मद संख्या : 2 एवं 7 फर्श पर टाइल लगाने से पूर्व किया जाने वाला कार्य है एवं उसके पश्चात ही फर्श पर टाइल लगाए जाने का कार्य किया जाना अपेक्षित था। अतः इस मामले में सम्पूर्ण तथ्यों से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाने के अतिरिक्त संविदाकार को गलत रिकॉर्ड प्रविष्टियां करके लाभ पहुंचाने वालों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

18 निर्माण मण्डल द्वारा ₹43.27 लाख के अन्तिम बिलों को भुगतान के लिए पारित न करना

वित्तीय वर्ष 2014–15 के अभिलेख की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 तक मण्डी मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न उपमण्डलों से सम्बन्धित कुल 54 नम्बर ऐसे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्तिम भुगतान बिल, जिनकी कुल ₹4326756 **(परिशिष्ट–च अनुसार)** बनती थी, शेष थे, जिन्हें मण्डल पारित नहीं किया गया था, जबकि CPWD Works Mannual के नियम 29.2 के अनुसार ₹500000 से अधिक के अन्तिम भुगतान बिल निर्माण कार्य समाप्त होने के 6 माह के भीतर एवं अन्य

मामलों में 3 माह के भीतर पारित करने उपरान्त उनका भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अतः इतनी अधिक मात्रा में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्तिम भुगतान बिलों को पारित न करने के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए इन्हें शीघ्र पारित किया जाए एवं कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

19 कालातीत प्रतिभूतियों की राशि को CPWD Works Mannual के नियम 21.7 के अनुसार मण्डल की आय में न दर्शाए जाने के सन्दर्भ में

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध अभिलेख की जांच में पाया कि हिमुडा मण्डल, मण्डी के प्रतिभूति खाते में दिनांक 31.3.2015 को ₹9331662 जमा शेष थी। इस जमा शेष राशि में ऐसी राशियां भी थीं, जिनके निर्माण कार्य पूर्ण हुए तीन वर्ष से अधिक समय हो गया था एवं CPWD Works Mannual के नियम 21.7 के अनुसार यह राशियां कालातीत हो चुकी थीं, क्योंकि नियमानुसार यदि निर्माण कार्य पूर्ण होने के तीन वर्ष के भीतर ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति (Security) राशि को वापस लेने का दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो इस राशि को कालातीत मानकर संस्था की आय मान लिया जाता है। अतः ऐसी समस्त कालातीत राशियों का विवरण मण्डल स्तर पर तैयार करने उपरान्त इन्हें मण्डल की विविध आय शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 संविदाकारों को जारी स्टॉक से सम्बन्धित कन्ट्रेक्टर लैजर का रख–रखाव न करना

भण्डार से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु समय–समय पर स्टोर/भण्डार से निर्माण सामग्री जारी की गई थी, परन्तु उक्त सामग्री के मूल्य सम्बन्धी प्रविष्टियां संविदाकार के खातों में लेखांकित नहीं की गई थी, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इस कारण किसी भी संविदाकार को अधिक एवं अनुचित भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जारी की गई निर्माण सामग्री का इन्द्राज सम्बन्धित लैजर में किया जाना अपेक्षित एवं आवश्यक होता है। अतः जारी की गई निर्माण सामग्री का कन्ट्रेक्टर लैजर में इन्द्राज न करना एक गम्भीर अनियमितता एवं नियमों के पालन में लापरवाही परिलक्षित करता है। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014–15 में जारी निर्माण सामग्री को कन्ट्रेक्टर लैजर में लेखांकित किया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

21 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से क्रय सीमेंट के समायोजन बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के सन्दर्भ में

हिमुडा मण्डल मण्डी द्वारा ₹415066 का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम को वाउचर संख्या : 37, दिनांक 17.10.2014 एवं वाउचर संख्या : 52, दिनांक 21.10.2014 द्वारा माह :

10/2014 में उनके प्रोफोर्मा बिलों पर अग्रिम रूप में सीमेंट का क्रय करने हेतु किया गया था, किन्तु इन अग्रिम राशियों के समायोजन बिल वर्तमान अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अंकेक्षण में उनकी तदानुसार जांच की जा सके।

22 वाहन में 266 लीटर डीजल की अधिक खपत दर्शाना

(क) वाहन संख्या : एच0पी0–07ए0–0517 की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि अवधि 4/2014 से 3/2015 तक डीजल की खपत 7.73 से 9.59 कि0मी0 प्रति लीटर की दर से की गई थी, जबकि हिमुडा के सहायक अभियन्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र जोकि लॉग बुक के पृष्ठ संख्या : 109 पर दिनांक 13.7.2007 को दिया गया है के अनुसार वाहन की औसत 9 किलोमीटर/प्रति लीटर प्रमाणित की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2014–15 में 266 लीटर डीजल की अधिक खपत में की गई थी। इसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

दिनांक 1.4.2014 को मीटर रीडिंग	12610 कि0मी0
दिनांक 31.3.2015 को मीटर रीडिंग	42038 कि0मी0
वर्ष 2014–15 में कुल तय दूरी	29428 कि0मी0
प्रमाणित औसत	9 कि0मी0/लीटर
प्रमाणित औसत अनुसार डीजल की खपत	3270 लीटर
लॉग बुक अनुसार वास्तविक खपत	3531 लीटर+5 लीटर प्रारम्भिक शेष=3536 लीटर
अधिक खपत	266 लीटर

अतः अधिक खपत की गई डीजल की मात्रा 266 लीटर की वसूली बाजार मूल्य की दर से उचित स्त्रोत से करने उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) मण्डल के वाहन संख्या : एच0पी0–07ए0–0517 की लॉग बुक में चयनित मास की यात्राओं एवं वाहन में डाले गए डीजल की जांच में पाया गया कि दिनांक 1.10.2014 को लॉग बुक अनुसार वाहन में पांच लीटर (5Lt.) डीजल शेष था एवं इस मास में प्रथम बार डीजल वाहन में दिनांक 13.10.2014 को मैसर्ज रिषी एच0पी0 सेन्टर, पड्डल मण्डी में 51 लीटर डाला गया था, किन्तु वाहन द्वारा दिनांक 1.10.2014 से 12.10.2014 तक कुल 244 किलोमीटर दूरी निम्न विवरणानुसार तय की गई थी।

दिनांक	तय दूरी (कि0मी0 में)	प्रारम्भिक मीटर रीडिंग	अन्तिम मीटर रीडिंग	स्थान जहां वाहन गया
8.10.14	112 कि0मी0	26339	26451	मण्डी से कुल्लू, बजौरा एवं ठहराव
9.10.14	132 कि0मी0	26451	26583	बजौरा से कटराईं एवं वापस मण्डी
योग	**244 कि0मी0**			

इस प्रकार वाहन ने उक्त प्रारम्भिक शेष (पांच लीटर डीजल) द्वारा 244 किलोमीटर की दूरी तय की, जोकि असम्भव है। इसी प्रकार दिनांक 20.10.2014 को वाहन में 30 लीटर डीजल, मैसर्ज कुलदीप चन्द एण्ड सन्ज, सौली खड्ड, मण्डी से डलवाया गया एवं इसके उपरान्त दिनांक

23.10.2014 को वाहन में डीजल डाला गया। वाहन द्वारा दिनांक 20.10.2014 से 22.10.2014 तक कुल 626 कि0मी0 की दूरी निम्न विवरणानुसार तय की गई।

दिनांक	तय दूरी (कि0मी0 में)	प्रारम्भिक मीटर रीडिंग	अन्तिम मीटर रीडिंग	स्थान जहां वाहन गया
20.10.14	265 कि0मी0	27082	27347	मण्डी से चण्डीगढ़ एवं ठहराव
21.10.14	80 कि0मी0	27347	27427	चण्डीगढ़ लोकल
22.10.14	281 कि0मी0	27427	27708	चण्डीगढ़ से मण्डी एवं लोकल (मतगणना/चुनाव अधिकारी द्वारा)
योग	**626 कि0मी0**			

यदि यह माना जाए कि उपरोक्त वर्णित 30 लीटर डीजल उपरान्त वाहन का डीजल टैंक पूरी तरह से भर गया था (जोकि 60 लीटर है), तो वाहन द्वारा उक्त अवधि में औसत खपत 10.43 कि0मी0 प्रति लीटर (626÷60) दर्शाई गई है। अतः उपरोक्त वर्णित दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि वाहन की औसत खपत बारे जो आंकड़े लॉग बुक में दर्ज हैं वह वास्तविकता से भिन्न हैं, क्योंकि प्रथम उदाहरण अनुसार वाहन द्वारा 5 लीटर डीजल में 244 कि0मी0 की दूरी तय की गई एवं दूसरे उदाहरण अनुसार वाहन की डीजल की औसत खपत 10.43 कि0मी0 प्रति लीटर थी। अतः इन दोनों प्रकरणों के सन्दर्भ में विभागीय स्तर पर पूर्ण जांच करने उपरान्त वास्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि वाहन की औसत हेतु सरकार द्वारा प्रमाणित संस्था लोक निर्माण विभाग (निर्माण मण्डल) अथवा हिमाचल पथ परिवहन निगम से वाहन की औसत डीजल खपत निर्धारित करवाई जाए एवं कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

23 अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, दावा बिलों में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के सन्दर्भ में

(क) वाउचर क्रमांक 9 एवं 29, माह 10/2014

अभिलेख की जांच में पाया गया कि श्री जगत राम, सहायक अभियन्ता को वाउचर संख्या : 9, दिनांक 15.10.2014 एवं वाउचर संख्या : 29, दिनांक 30.10.2014 द्वारा क्रमश : ₹1404 एवं ₹4164 का भुगतान किया गया है। जांच में पाया गया कि सहायक अभियन्ता द्वारा इन वाउचरों में वर्णित यात्रा निजि वाहन द्वारा की गई थी, किन्तु उनके द्वारा निजि वाहन का प्रयोग करने से सम्बन्धित कार्यालय आदेश/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से सम्बन्धित आदेश वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिनके अभाव में निजि वाहन द्वारा की गई यात्राओं को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इससे सम्बन्धित आदेष आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा उनके द्वारा निजि वाहन से की गई यात्रा हेतु ली गई राशि की वसूली उनसे करने उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) वाउचर संख्या : 26 एवं 27, माह 10/2014

जांच में पाया गया कि वाउचर संख्या : 26, दिनांक 27.10.2014 एवं वाउचर संख्या : 27, दिनांक 27.10.2014 द्वारा क्रमश : ₹2136 एवं ₹1494 का भुगतान श्री ए0पी0 कपूर, सहायक अभियन्ता के पक्ष में किया गया है। उनके द्वारा यह यात्राएं निजि वाहन द्वारा ₹6 प्रति कि0मी0 की दर से की गई है, किन्तु उन्हें निजि वाहन द्वारा यात्राएं करने हेतु अधिकृत किए जाने से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में निजि वाहन द्वारा की गई यात्रा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इससे सम्बन्धित आदेश आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किए जाएं अन्यथा उनके द्वारा यात्रा हेतु ली गई राशि की वसूली उनसे करने उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवया जाए। जांच में पाया गया कि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 4.8.2014 को हमीरपुर से मण्डी एवं वापसी का यात्रा भत्ता दो बार लिया गया है। एक बार वाउचर संख्या : 26, दिनांक 27.10.2014 एवं दूसरी बार वाउचर संख्याः27, दिनांक 27.10.2014 द्वारा यह पुनः प्राप्त किया गया है एवं इस प्रकार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ₹432 का भुगतान दो बार प्राप्त किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए ₹432 की वसूली उनसे करने उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से यथाशीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) वाउचर संख्या : 29, दिनांक 19.9.2014

उक्त वाउचर द्वारा श्री सतीश कुमार, बेलदार को उनके यात्रा भत्ता दावे का भुगतान किया गया है। जांच में पाया गया कि उक्त यात्रा भत्ता दावा बिल में उनके द्वारा दिए गए माह : 8/2014 के बिल में दिनांक 26.8.2014 एवं 29.8.2014 का दैनिक भत्ता (DA) दो बार प्राप्त किया गया है एवं इस प्रकार उन्होंने ₹260 (130x2) अधिक भुगतान प्राप्त किया है। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उनसे शीघ्र करने उपरान्त मण्डल खाते में जमा कराई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(घ) वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या : Fin(c)b(7)–1/2009, दिनांक 19.6.2012 के पैरा–4(5) के अनुसार यात्रा के दौरान व्यतीत किए गए समय के लिए साधारण दर पर दैनिक भत्ता देय है, जबकि हिमुडा–मण्डल, मण्डी के अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता दावा बिलों की जांच में पाया गया कि मण्डल के अधिकतर कर्मचारियों द्वारा यात्रा के दौरान व्यतीत किए गए समय हेतु भी ऊंची दरों पर दैनिक भत्ता (D.A.) लिया गया, जोकि देय नहीं था। यात्रा भत्ता दावा बिलों में यात्रा के दौरान व्यतीत किए गए समय का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण वर्तमान अंकेक्षण में इसकी राशि की सही गणना नहीं की जा सकी। अतः यात्रा के समय के दौरान लिए गए ऊंची दरों पर दैनिक भत्ते की गणना मण्डल स्तर पर करने उपरान्त उसकी वसूली सम्बन्धित

कर्मचारियों से की जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में यात्रा के दौरान व्यतीत किए गए समय हेतु दैनिक भत्ता उपरोक्त पत्र के अनुसार ही दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24 सेवा पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के सन्दर्भ में

हिमुडा मण्डल मण्डी में कार्यस्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु मौखिक रूप में बार–बार मण्डल अधिकारियों से अनुरोध किया गया था, लेकिन अंकेक्षण के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की सेवा पंजिका जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में हिमुडा मण्डल मण्डी के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच में वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः समस्त कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं आगामी अंकेक्षण पर प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए, ताकि तदानुसार उनकी जांच अंकेक्षण में की जा सके।

25 लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

26 निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त लम्बित चले आ रहे अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अंकेक्षण पैरों के सम्पूर्ण निपटारे हेतु उचित पग उठाए जाने की आवश्यकता की ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः (एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)172/92–खण्ड–12–4718–4720,दिनांक:02.09.2016, शिमला–9
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1. अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–मण्डी, जिला मण्डी को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई उचित कार्रवाई का सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
3. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम विहार, शिमला–2

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट–''क''

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 1(ग) में सन्दर्भित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डी मण्डल के अवधि 4/1994 से 3/2014 के बकाया पैरों का विवरण

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1995

1	पैरा 5(1)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2000

1	पैरा 10	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा 17	अनिर्णीत
2	पैरा 43	अनिर्णीत
3	पैरा 44	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1)	पैरा 13	अनिर्णीत

(ड.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा 7	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 7(1 से 4)	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 11(1 से 2)	अनिर्णीत
4	पैरा 14(1 से 4)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 12	अनिर्णीत
4	पैरा 13	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 9(1 से 4)	अनिर्णीत
3	पैरा 11(2 से 4)	अनिर्णीत
4	पैरा 18	अनिर्णीत
5	पैरा 21	अनिर्णीत
6	पैरा 22	अनिर्णीत
7	पैरा 24(i) से (iii)	अनिर्णीत
8	पैरा 26	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 8(i)(ए) से (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(ii)(ए) से (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(iii)(ए)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(iv)(ए)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(i)से (iv)	अनिर्णीत
6	पैरा 11(i)से (iii)	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत

8	पैरा 13(i)से (vi)	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(i) से (iv),(vi),(vii),(xii) (xiii),(xv)	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 12,12(i),(ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 13	अनिर्णीत
6	पैरा 14	अनिर्णीत
7	पैरा 15	अनिर्णीत
8	पैरा 16	अनिर्णीत
9	पैरा 17	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 4(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(i)(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(iii)(क)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(iv)(क)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(v)(क)(ख)(ग)(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(vi)(क)(ख)	अनिर्णीत
7	पैरा 7(vii)	अनिर्णीत
8	पैरा 8	अनिर्णीत
9	पैरा 9	अनिर्णीत
10	पैरा 10	अनिर्णीत
11	पैरा 11	अनिर्णीत
12	पैरा 12	अनिर्णीत
13	पैरा 13	अनिर्णीत
14	पैरा 14	अनिर्णीत
15	पैरा 15	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/2012 से 3/2013

1)	पैरा 4	अनिर्णीत
2)	पैरा 8	अनिर्णीत
3)	पैरा 9 (i) से (viii)	अनिर्णीत
4	पैरा 10 (i) से (iii)	अनिर्णीत
5	पैरा 10 (ख)(iv)	अनिर्णीत
6	पैरा 11 (i)(ii)	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 15(i)(ii)	अनिर्णीत

11	पैरा 16	अनिर्णीत	
12	पैरा 17	अनिर्णीत	

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
2	पैरा 5	निर्णीत	(–यथोपरि–)
3	पैरा 6	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा 7	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा 8	अनिर्णीत	
6	पैरा 9	अनिर्णीत	
7	पैरा 10	अनिर्णीत	
8	पैरा 11	अनिर्णीत	
9	पैरा 12	अनिर्णीत	
10	पैरा 13	अनिर्णीत	
11	पैरा 14	अनिर्णीत	
12	पैरा 15	अनिर्णीत	
13	पैरा 16	अनिर्णीत	
14	पैरा 17	अनिर्णीत	
15	पैरा 18	अनिर्णीत	
16	पैरा 19	अनिर्णीत	
17	पैरा 20	अनिर्णीत	
18	पैरा 21	अनिर्णीत	
19	पैरा 22	अनिर्णीत	
20	पैरा 23	अनिर्णीत	
21	पैरा 24	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
22	पैरा 25	निर्णीत	(–यथोपरि–)
23	पैरा 26	अनिर्णीत	
24	पैरा 27	अनिर्णीत	
25	पैरा 28	अनिर्णीत	
26	पैरा 29	अनिर्णीत	

(त) नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित पैरे

(i) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/1998

1)	पैरा 22(9)	अनिर्णीत

(ii) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 15.1.2001

1	पैरा 51	अनिर्णीत